राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3128/2025

राज्दा सुल्तान खान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.06.2025
आदेश की दिनांक :
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रोहित सैनी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जोधपुर में प्रिंसिपल सीट जोधपुर में पारित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 9090/2025 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2025 के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 13.06.2025 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि दूरस्थ विद्यालयों में प्रिंसिपल का पद रिक्त पड़ा है क्योंकि वहां उप–प्रधानाचार्य/व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पद सृजित नहीं किए गए हैं। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 15.04.1994 को वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर हुई थी और दिनांक 20.08.2015 को उन्हें व्याख्याता (ग्रेड–I) स्कूल शिक्षा, विषय जीव विज्ञान (विज्ञान) के पद पर पदोन्नत किया गया तथा दिनांक 09.07.2024 को उन्हें उप–प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया तथा उन्हें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोलाई कलां, ब्लॉक सुल्तानपुर, जिला कोटा में पदस्थापित किया गया। (अनुलग्नक–2) राजस्थान सरकार कि शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 17.01.2025 को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु डीपीसी आयोजित की गई और डीपीसी की अनुशंसा के आधार पर अपीलार्थी का दिनांक 24.01.2025 को प्रधानाचार्य के पद पर चयन हुआ। अपीलार्थी को दिनांक 25.01.2025 को उसी पदस्थापन स्थान अर्थात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोलाईकलां, ब्लॉक सुल्तानपुर, जिला कोटा में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई। (अनुलग्नक–3 व 4) इसके बाद, प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत अभ्यर्थियों को पदस्थापन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहा गया। काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित करने से पूर्व 09.04.2025 को रिक्त सीटों की

जानकारी प्रदर्शित कर दी गई थी। कोटा जिले में रिक्त सीटों की जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई है। अपीलार्थी की जानकारी के अनुसार, कोटा जिले में कई पद रिक्त हैं। तत्पश्चात, दिनांक 12.04.2025 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंगोरा, बूंदी, जिला बूंदी में नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 689 (पृष्ठ संख्या 89) पर अंकित है। (अनुलग्नक–5) दिनांक 12.04.2025 के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9090/2025 दायर करके चुनौती दी गई, जिसका निर्णय 02.05.2025 को हुआ। यह निर्णय एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8749/2025 में पूनम राम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के (अनुलग्नक–6) दिनांक 02.05.2025 के अनुपालन आदेश के तहत अपीलार्थी ने एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें प्रत्यर्थी विभाग ने बताया कि जिला कोटा में रिक्त पदों के बारे में बताया हैं तथा बूंदी वर्तमान पदस्थापन स्थान अपीलार्थी के निवास से 110 किलोमीटर से अधिक दूर है और अपीलार्थी मधुमेह, रक्तचाप और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और वह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से भी पीड़ित है और उसके दाहिने पैर के घुटने को भी बदल दिया गया है और डॉक्टर ने उसके बाएं पैर के घुटने को बदलने की भी सलाह दी है। (अनुलग्नक–8) इसी प्रकार के मामले में, जहाँ अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 12.04.2025 के आदेश के विरुद्ध आवेदन किया था और माननीय न्यायालय ने अभ्यावेदन के निपटारे तक दिनांक 12.04.2025 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की कृपा की थी और अभ्यावेदन खारिज कर दिया गया था, माननीय न्यायालय ने दिनांक 05.06.2025 के आदेश द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रधानाचार्य का पद किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा गया है, कृपया उस आदेश पर रोक लगाने की कृपा करें जिसके द्वारा अभ्यावेदन को खारिज किया गया था और साथ ही नियुक्ति के आदेश पर भी रोक लगाने की कृपा करें। (अनुलग्नक–9)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आदेश दिनांक 13.06.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं दिनांक 12.04.2025 के आदेश को संशोधित किया जावें साथ ही अपीलार्थी के पक्ष में जिला कोटा में उसके द्वारा बताए गए स्थानों में से किसी रिक्त पद पर नियुक्ति दिए जाने के निर्देश दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 13.06.2025 एवं आदेश दिनांक 12.04.2025 को चुनौती दी गई है,

जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसीसिविल रिट पिटीसन संख्या 8927/2025 अमर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य पारित आदेश दिनांक 01.06.2025 की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित किया गया है। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन के संबंध में सभी तथ्यों को समाविष्ट करते हुए आदेश दिनांक 13.06.2025 पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में भी इस आदेश में किसी तरह से हुई अनियमितता के संबंध में कथन नहीं किया है। अपीलार्थी का पदस्थापन पदोन्नति के पश्चात काउंसलिंग के जरिये विभागीय नीति के अनुरूप आदेश दिनांक 12.04.2025 द्वारा किया जाना पाया जाता है। अधिकरण को इन प्रकरणों में तभी हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, जब किसी तरह की कार्य अनियमितता या दुर्भावनापूर्वक कार्यवाही की गई हो, ऐसा इस प्रकरण में प्रकट नहीं हो रहा है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना–पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य